कोटेशन सूचना

नगर आयुक्त महोदय द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति दिनांक 17.11.2020 के अनुपालन में नगर निगम हरिद्वार के विभागीय कार्यों हेतु 06 माह के लिए वाहन किराये पर लिये जाने हेतु दिनांक 25.11.2020 समय 12:00 बजे तक कोटेशन आमन्त्रित की जाती है, जो उसी दिन सायं 3:00 बजे कोटेशन समिति के समक्ष खोली जायेगी। इच्छुक कोटेशनदाता निम्न विवरण पर निर्धारित तिथि एवं समय तक अपनी कोटेशन निगम कार्यालय में उपलब्ध करा सकता है।

क्र0 सं0	वाहन का विवरण/नाम	दर प्रतिमाह बिना चालक एवं डीजल के (रू0)	टैक्स	प्रतिमाह दरें सभी टैक्स सहित
1	2	3	4	5
1.	टोयोटा इनोवा VX या ~~समकक्ष~~			

उक्त कोटेशन की शर्तें एवं अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम के कार्यालय, कार्यशाला अथवा निगम की वेबसाइट www.nagarnigamharidwar.com पर देखी जा सकती है।

(उत्तम सिंह नेगी)
सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, हरिद्वार।

कार्यालय–नगर निगम, हरिद्वार

पत्रांक 2318 /कार्यशाला स्वा0/2020–21 दिनांक 18.11.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– मा0 महापौर, नगर निगम, हरिद्वार।
2– नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, हरिद्वार।
3– समस्त सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
4– लेखाधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार।
5– समस्त सदस्य कोटेशन समिति।
6– कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7– सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, हरिद्वार।

किराये पर वाहन की आपूर्ति किये जाने से सम्बन्धित शर्तें

1. आपूर्तिकर्ता द्वारा करार के दौरान कोई भी वाहन जो 03 वर्ष (1095 दिन) से अधिक पुरानी वाहन की आपूर्ति नहीं की जायेगी।
2. आपूर्ति की जाने वाली वाहन उचित गुणवत्ता (**Excellent Condition**) वाली होनी चाहिए। वाहन की आन्तरिक साज–सज्जा यथा–सीट कवर, तौलिया, पढ़ने के लिए बिजली, फुटमैट आदि उत्कृष्ट क्वालिटी की होना आवश्यक है।
3. वाहन के टायर, बैट्री, हैडलाईट बीम, ब्रैक, इंडिकेटर, वाईपर, शीशा, दरवाजे एवं अन्य समस्त एसेसरीज उचित एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता के होने चाहिए।
4. वाहन नियमानुसार संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए तथा करार की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा–पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि वैध होने चाहिए। पंजीयन शुल्क, परमिट शुल्क, फिटनेस शुल्क, मोटर वाहन कर बीमा सभी प्रकार के सम्बन्धित व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किये जाएगें।
5. आपूर्ति की जाने वाली वाहन मोटरयान अधिनियम–1988 के अन्तर्गत ऑल इण्डिया परमिट से आच्छादित होनी चाहिए। किसी भी निजी वाहन (**Non transport Vehicle**) की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
6. सम्बन्धित विभाग मार्ग में होने वाली किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा।
7. मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी (**Breakdown**) होने पर आपूर्तिकर्ता को तत्काल अन्य वाहन जो मौजूदा वाहन के समकक्ष अथवा उच्च श्रेणी का हो की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्तिकर्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो सम्बन्धित विभाग आपूर्तिकर्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा।
8. वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है।

9. वाहन में लॉग बुक के अतिरिक्त एक शिकायत/सुझाव पुस्तिका भी रखना आवश्यक होगा।

10. वाहन में नियमानुसार स्टपनी, टूल किट, फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र (**Fire extingusher**) भी आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक है।

11. भुगतान की रीति

(एक) कार्य की पूर्ति पर सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को भुगतान नगर निगम, हरिद्वार द्वारा मासिक आधार पर किया जाएगा।

(दो) आयकर नियमों के अनुसार नगर निगम, हरिद्वार द्वारा भुगतान के समय आयकर की कटौती (टी0डी0एस0) की जाएगी।

12. सेवा प्रदान करने में विलम्ब हेतु शास्ति/दर अनुबन्ध का निरस्तीकरण

निम्नलिखित अवसरों पर कार्यप्रभारित प्रतिभूमि को जब्त करते हुए दर पंजीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा–

(एक) यदि आपूर्तिकर्ता समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।

(दो) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं सन्तोषजनक नहीं है।

हस्ताक्षर,
सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, हरिद्वार।

हस्ताक्षर, 17.11.2023
नगर आयुक्त,
नगर निगम, हरिद्वार।